112

संः– 814 /IV(2)-श0वि0–11–05(एन0यू0आर0एम0)/09

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक–16 सितम्बर, 2011

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत देहरादून शहर के अन्तर्गत रोटरी कुष्ठ रोग आश्रम में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या भा0स0–76/IV(2)–श0वि0–08–05(एनयूआरएम)/09 दिनांक 26–3–2009 तथा शासनादेश संख्या 1418/IV(2)–श0वि0–10–05(एनयूआरएम)/09 दिनांक 04–10–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से बीएसयूपी के अन्तर्गत देहरादून शहर में राम मन्दिर कुष्ठ आश्रम में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹ 163.34 लाख की परियोजना पर संस्तुति प्रदान करते हुए शासनादेश दिनांक 26–3–2009 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश ₹ 28.98 लाख एवं राज्यांश ₹ 7.25 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 36.23 लाख तथा शासनादेश दिनांक 4–10–2010 द्वारा राज्यांश ₹ 4.60 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 40.83 लाख स्वीकृत किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में सहायक निदेशक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(4)/PFI/2011-473 दिनांक 5–8–2011 द्वारा उक्त परियोजना की द्वितीय किस्त केन्द्रांश ₹ 28.98 लाख स्वीकृत किया गया है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राप्त केन्द्रांश ₹ 28.98 लाख तथा इसके सापेक्ष देय राज्यांश ₹ 11.85 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल **₹ 40.83 लाख (₹ चालीस लाख तिरासी हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था **नगर निगम, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्थानीय निकायों द्वारा उपरोक्त अवमुक्त धनराशि को पी0एल0ए0 में रखा जायेगा और यदि निकाय के पास पी0एल0ए0 नहीं है तो तत्काल पी0एल0ए0 खुलवाये जाने की कार्यवाही करते

हुए धनराशि को बैंक में रखा जायेगा तथा पी0एल0ए0 खुलने के बाद धनराशि को पी0एल0ए0 में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगाा।

4. निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

5. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत उप मिशन बी0एस0यू0पी0 की भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

8. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

9. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

10. कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और उपयोगा का उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

11. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य रकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

12. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2011–12 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–06–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के **नामे ₹ 39.61 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–06–बेसिक सर्विसेज टू अरबन

पुअर्स योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज्य सहायता के नाम ₹ **1.22 लाख** डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 500/XXVII(2)/2011, दिनांक 14 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0 भा0स0–1214 (1)/IV(2)-श0वि0–11,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी (मा0 मुख्यमंत्री जी)।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।